हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना – पिलखुवा **दिनांक 20.11.2024**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए एक महिला सहित 02 हत्यारोपियों को *आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये (कुल 60,000/- रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2019 में अभियुक्तगण द्वारा ग्राम सिखैड़ा के जंगल में द्वारिका सैक्टर निवासी अशोक की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व ***करीब 109 दिनों में आरोप पत्र*** मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा ***थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 526/2019 धारा 302, 34 भादवि मामले में*** मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.11.2024 को ***मा0 न्यायालय ADJ/FTC प्रथम हापुड़*** द्वारा ***02 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये (कुल 60,000/- रुपये) के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया है।

नोटः- *अभियुक्त गगन उर्फ गोलू द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू रखना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 527/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में अभियुक्त गगन उर्फ गोलू को माननीय न्यायालय द्वारा 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. गगन उर्फ गोलू पुत्र सुन्दर निवासी सिखैड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
2. सोनिया पुत्री सुरेश निवासी द्वारिका सैक्टर साहबाद मौहम्मदपुर रोहिणी दिल्ली।